संख्या-3-2096/77-3-14-2यूपीडा/12

प्रेषक,

अनिल कुमार,

अनु सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,

यूपीडा, पर्यटन भवन,

गोमतीनगर, लखनऊ ।

औद्योगिक विकास अनुभाग-3 **लखनऊ दिनांक 05 नवम्बर, 2014**

विषय-:आगरा से लखनऊ प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे(ग्रीन फील्ड) परियोजना के पांचों पैकेजों को इ0पी0सी0 पद्वति पर क्रियान्वयन हेतु 'अथारिटी इन्जीनियर' के चयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-974/यूपीडा/2013/206, दिनांक 10.10.2014 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें आगरा से लखनऊ प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे(ग्रीन फील्ड) परियोजना के पांचों पैकेजों को इ0पी0सी0 पद्वति पर क्रियान्वयन हेतु 'अथारिटी इन्जीनियर' के चयन के प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. उक्त सन्दर्भित पत्र में उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त निम्नवत निर्णय लिये गये हैं :-

(1) शासनादेश संख्या-1763/77-3-14-259(एम)/14,दिनांक01.10.2014 द्वारा अनुमोदित परियोजना की संशोधित अनुमानित लागत में परियोजना के सुपरविजन हेतु धनराशि का प्राविधान किया गया है। 'अथारिटी इंजीनियर' का चयन परियोजना के परामर्शी द्वारा तैयार की गयी 'आर0एफ0पी0' के

http://shasanadesh.up.nic.in

माध्यम से किया जायेगा तथा उस पर आने वाले व्यय का वहन प्राविधानित सुपरविजन चार्जेज से किया जाना है। आर0एफ0पी0 द्वारा इच्छुक परामर्शियों से प्राप्त प्रस्तावों के मूल्यांकन की स्टेज-1 में उनके तकनीकी प्रस्तावों का मूल्यांकन किया जायेगा एवं तकनीकी रूप से अर्हता प्राप्त आवेदनकर्ताओं की वित्तीय बिड स्टेज-2 के मूल्यांकन हेतु खोली जायेगी। आवेदनकर्ताओं के प्रस्तावों का संयुक्त मूल्यांकन (तकनीकी एवं वित्तीय) कर उन्हें रैंकिंग प्रदान की जायेगी एवं प्रथम रैंक्ड आवेदनकर्ता का चयन किया जायेगा।

(2) परामर्शी द्वारा उक्त 'आर0एफ0पी0' भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राज्य मंत्रालय (एमओरआरटीएच) द्वारा अंगीकृत मॉडल डाक्यूमेंट के आधार पर परियोजना के निर्माण एवं अनुरक्षण की अवधि में पांचो पैकेजों हेतु डिजाइन विशिष्टयों, क्वालिटी कन्ट्रोल व अन्य प्राविधानों पर एकरूपता व समन्वय स्थापित करने के लिए 'अथारिटी इंजीनियर' के चयन हेतु मॉडल आर0एफ0पी0 डाक्यूमेंट में परामर्शी द्वारा आवश्यकतानुसार किये गये विचलन के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

(3) परामर्शी द्वारा विचलन कर तैयार किये गये 'आर0एफ0पी0' के क्रम में इच्छुक आवेदनकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत की गयी विविध पृच्छाओं के साथ संशोधित 'आर0एफ0पी0' अभिलेख का अंतिमीकरणी के सम्बन्ध में परियोजना हेतु गठित 'परामर्शी मूल्यांकन समिति' की बैठक दिनांक 30.09.2014 में लिए गये निर्णय के अनुरूप कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

(4) परियोजना के 'अथारिटी इंजीनियर' पर आने वाले व्यय का वहन शासन द्वारा देय सुपरविजन चार्जेज से किया जाय और अथारिटी इंजीनियर के चयन हेतु तैयार किये गये अंतिमीकृत आर0एफ0पी0 के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

(5) यूपीडा पूर्णरूपेण परीक्षण कर प्रस्तावित योजना की आवश्यकतानुसार किये गये विचलन के औचित्य से स्वयं संतुष्ट हों लें और यह सुनिश्चित

http://shasanadesh.up.nic.in

कर लें कि किये जाने वाले विचलन परियोजना हेतु अपरिहार्य एवं आवश्यक है।

(6) यूपीडा द्वारा प्रस्तावित की-पर्सनल्स की संख्या को आवश्यकतानुसार न्यूनतम ही रखा जाना सुनिश्चित किया जाय ताकि राज्य सरकार पर अनावश्यक एवं अतिरिक्त व्यय भार बढ़ने की स्थिति उत्पन्न न हो।

(7) प्रस्तावित आर0एफ0पी0 में विचलन के अतिरिक्त जो अन्य प्राविधान रखे गये है वे सभी भारत सरकार सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा अंगीकृत माडल डाक्यूमेंट के अनुसार ही हैं, को यूपीडा द्वारा सुनिश्चित कर लिया जाय।

3. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आगरा से लखनऊ नियंत्रित एक्सप्रेसवे (ग्रीन फील्ड) परियोजना के पांचों पैकेजों को इ0पी0सी0 पद्धति पर क्रियान्वयन हेतु 'अथारिटी इंजीनियर' के चयन के सम्बन्ध में कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

अनिल कुमार,
अनु सचिव।

ttp://shasanadesh.up.nic.in